

कार्यालय कलेक्टर जिला आगर-मालवा (म.प्र.)

क्रमांक/भू-अर्जन/2018/124

सार्वजनिक सूचना


आगर-मालवा, दिनांक 26/02/2018

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य शासन के जल संसाधन विभाग की कलारिया बांध हेतु ग्राम कलारिया की निजी भूमि की आवश्यकता होने से राज्य शासन आपसी सहमति से भूमि क्रय निति के अंतर्गत निम्न भूमि- स्वामियों की सहमति के आधार पर क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह इस पत्र को जारी होने के 15 दिवस के भीतर आधार सहित कलेक्टर आगर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	सर्वे नंबर /रक बा	क्रय करने योग्य आवश्यक कुल रकबा	2017 की गार्ड लाईन के आधार पर संगणित बाजार मूल्य	स्थावर परिसंपत्ति का मूल्य	कुल मूल्य	कूल्य मूल्य के समतुल्य पुनर्वास अनुदान	कुल प्रस्तावित देय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रामलाल पिता करणसिंह भारतबाई वि. करणसिंह हि. 1/4 उंकारसिंह इंदर पिता बापु भगतबाई विधवा भुवानसिंह जनसबाई पुत्री भुवानसिंह सुडी बाई वि.हि.1/3 जाति सौंधिया	21/0.390	0.390	404040	35754	439794	439794	879588.00
		22/1.100	1.100	1139600	1820	1141420	1141420	2282840.00
2	भगवानसिंह गोरधनसिंह गणपतसिंह सरदारबाईपिता चंदरसिंह लीलाबाई सौरमबाई पिता चंदरसिंह संपतबाई विधवा चंदरसिंह जाति सौंधिया	95/0.310	0.310	187550	-	187550	187550	375100.00

नोट:- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- कलारिया बांध का डूब प्रभावित क्षेत्र होने से।

2. भूमि के नक्षे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी व-भू-अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है।


(अजय गुप्ता)

कलेक्टर,

जिला आगर मालवा

एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग
निरन्तर.....

Letter (Bhuarjan)